

# पशुधन आयात अधिनियम, 1898

(1898 का अधिनियम संख्यांक 9)<sup>1</sup>

[12 अगस्त, 1898]

## पशुधन <sup>2</sup>[और पशुधन उत्पाद] के आयात के विनियमन के लिए अधिक अच्छा उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

यतः पशुधन <sup>2</sup>[और पशुधन उत्पाद] के, जो संक्रामक या सांसर्गिक विकारों से प्रभावित होने वाला है, आयात के विनियमन के लिए अधिक अच्छा उपबन्ध करना समीचीन है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पशुधन आयात अधिनियम, 1898 है।

<sup>3</sup>[(2) इसका विस्तार <sup>4</sup>\*\*\* संपूर्ण भारत पर है।] <sup>5</sup>\*\*\*

<sup>5</sup>\* \* \* \* \*

2. परिभाषाएं—(1) इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो—

(क) “संक्रामक या सांसर्गिक विकारों” पद के अन्तर्गत चीचड़ी महामारी, एन्थ्रैक्स, ग्लाइंडर, फार्सी, खारिश और अन्य कोई रोग या विकार है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं : और

(ख) “पशुधन” के अन्तर्गत घोड़ा, गाय, ऊंट, भेड़ या ऐसा कोई अन्य पशु आता है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

<sup>6</sup>[(ग) “आयात” से सागर, थल या वायु मार्ग से <sup>7</sup>[भारत में] लाना या ले जाना अभिप्रेत है:]

<sup>8</sup>[(घ) “पशुधन उत्पाद” के अंतर्गत मांस और सभी प्रकार के मांस उत्पाद, जिसमें ताजा, शीतित और हिमशीतित मांस, ऊतक, कुक्कुट, सुअर, भेड़, बकरे के अंग, सम्मिलित हैं ; अण्डा और अण्डा चूर्ण ; दुग्ध और दुग्ध उत्पाद ; गोकुलीय, भेड़कुलीय और बकराकुलीय भ्रूण, अण्ड, शुक्र; पशु मूल के पालतु पशु खाद्य उत्पाद और ऐसे कोई अन्य पशु उत्पाद हैं जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।]

3. पशुधन के आयात को विनियमित करने के लिए शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी पशुधन का जो संक्रामक या सांसर्गिक विकारों से प्रभावित होने वाला है, और किसी चारे, गोबर, लीद, झूल, साज या फिटिंग का जो पशुधन का है या जो उसके संपर्क में आया है, <sup>9</sup>[आयात <sup>7</sup>[भारत में]] या उसके अन्दर किसी विनिर्दिष्ट स्थान में करने का ऐसी रीति से और उस हद तक जिस तक वह ठीक समझे, विनियमन, निर्बन्धन या प्रतिषेध राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी।

<sup>10</sup>[(2) उपधारा (1) के अधीन या धारा 3 के अधीन निकाली गई अधिसूचना ऐसे प्रवृत्त होगी मानो वह सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 11 के अधीन निकाली गई हो और हर पत्तन, विमानपत्तन, अंतर्देशीय आधान डिपो और भूमि सीमाशुल्क स्टेशन के सीमाशुल्क अधिकारियों को किसी पशुधन या पशुधन उत्पाद या वस्तु के बारे में, जिसके आयात के संबंध में ऐसी अधिसूचना निकाली गई है और उन्हें अंतर्विष्ट रखने वाले जलयान, वायुयान, यान और प्रवहण के अन्य ढंग के बारे में वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो उन्हें तत्समय किसी ऐसी वस्तु के संबंध में प्राप्त हैं जिसका आयात सीमाशुल्क और उन्हें अन्तर्विष्ट करने वाले जलयान, वायुयान, यान और प्रवहण के अन्य ढंग संबंधी विधि द्वारा विनियमित, निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध किया गया है और सीमाशुल्क या किसी ऐसी वस्तु या जलयान, वायुयान, यान और प्रवहण के अन्य ढंग से संबंधित तत्समय प्रवृत्त अधिनियमितियां तदनुसार लागू होंगी।]

<sup>1</sup> इस अधिनियम का 1962 के विनियम सं० 12 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर और 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा (1-10-1963 से) पांडिचेरी पर उपांतरणों सहित विस्तार किया गया।

<sup>2</sup> 2001 के अधिनियम सं० 28 की धारा 2 द्वारा (5-7-2001 से) अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> 1953 के अधिनियम सं० 40 की धारा 2 द्वारा पूर्ववर्ती उपधारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>4</sup> 1956 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्दों का लोप किया गया।

<sup>5</sup> 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा “और” शब्द और उपधारा (3) निरसित।

<sup>6</sup> 1950 के अधिनियम सं० 40 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित।

<sup>7</sup> 1956 के अधिनियम सं० 62 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा (1-11-1956 से) “उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर यह अधिनियम विस्तारित होता है” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>8</sup> 2001 के अधिनियम सं० 28 की धारा 3 द्वारा (5-7-2001 से) अंतःस्थापित।

<sup>9</sup> 1953 के अधिनियम सं० 40 की धारा 4 द्वारा “सागर या थल मार्ग से लाना या ले जाना” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>10</sup> 2001 के अधिनियम सं० 28 की धारा 4 द्वारा (5-7-2001 से) प्रतिस्थापित।

**1[3क. पशुधन उत्पादों का आयात विनियमित करने की शक्ति—**केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उन राज्यक्षेत्रों में, जहां इस अधिनियम का विस्तार है, किसी ऐसे पशुधन उत्पाद के आयात को, जो मानव या पशु स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, ऐसी रीति में और ऐसी सीमा तक जो वह ठीक समझे, विनियमित, निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध कर सकेगी।]

**4. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति—**(1) <sup>2</sup>[राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी] <sup>3\*\*\*</sup> आयात किए गए पशुधन, और चारे, गोबर, लीद, झूल, साज या फिटिंग के, जो आयात किए गए पशुधन का है या जो उसके संस्पर्श में आया है, निरोध या निरीक्षण के लिए या रोगाणुओं से उसे मुक्त करने या उसे विनष्ट करने के लिए और उन अधिकारियों की, जिन्हें वह इस निमित्त नियुक्त करे, शक्तियां और कर्तव्य विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी।

<sup>4</sup>[(1क) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।]

(2) इस धारा के अधीन कोई नियम बनाने में राज्य सरकार यह निदेश दे सकेगी कि इस नियम का भंग जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

**5. इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को परित्राण—**कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

<sup>1</sup> 2001 के अधिनियम सं० 28 की धारा 5 द्वारा (5-7-2001 से) अंतःस्थापित।

<sup>2</sup> 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल के नियंत्रणाधीन रहते हुए" शब्दों का लोप किया गया।

<sup>4</sup> 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची 2 द्वारा अंतःस्थापित।